

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 21/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/41)

निर्णय दिनांक:- 07-12-2023

1. ओमप्रकाश
2. भूपराम

पुत्रगण मुखराम जाति जाट निवासी 11 एएम तहसील बज्जू जिला
बीकानेर।



-अपीलांट्स

-बनाम-

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

-रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 19-03-2014
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 19-03-2014 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत में चक 9 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

231/41 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया, जबकि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि आज दिनांक को भी आराजीराज दर्ज रिकार्ड भूमि है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19-03-2014 के विरुद्ध अपील दिनांक 24-01-22 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवेदित भूमि के आवंटन हेतु विधिवत रूप से नोटिस जारी करते हुए 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने व वांछित सबूत प्रस्तुत करने हेतु जारी किया गया था।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



अपीलांट द्वारा निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। लिहाजा अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।


5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19-03-2014 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 24-01-2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर



प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते 9 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 231/41 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आवंटी का आवंटन के पेटे किशतें ना जमा कराने व नोटिस देने के उपरान्त भी विभाग द्वारा बकाया किशतों पर ब्याज छूट होने के बावजूद भी ना जमा कराना व आवंटी ने नियम 17 (8) के प्रावधानों के अर्न्तत भी आवंटी ने किशतों की राशि जमा नहीं करवाई है।

इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:- Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such un allotted land.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपयुक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1339 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है जोकि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि आराजीराज दर्ज रिकार्ड है व मौके पर उक्त रकबा खाली है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड होने के प्रश्न पर कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

6. अतः उक्त नियम व नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 19-03-2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि किसी अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं होने शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज होने की स्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार राशि जमा करवाते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 7/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

